कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

(Email ID: ceczpwdup@gmail.com, Office Telephone No-0522-2235214)

पत्रांक–428cz/10 सी0जेड (कोष)/2013 दिनाँकः 03/02/2023

कार्यालय–आदेश

मेसर्स यूनिटी इंजीनियर्स (सोल प्रो0–श्रीमती अजरा खान), बी–159/ए, निराला नगर, लखनऊ का विद्युत कार्य करने हेतु श्रेणी–ए में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रॉक–2388सी0 जेड0काम/10 सी0जेड0(कोष)/2013, दिनॉकः 03.07.2013 द्वारा दिनॉकः 30.06.2016 तक के लिये किया गया था। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रॉक–2716सीजेडकाम/10सीजेड(कोष)/ 13, दिनॉकः 14.10.2016 एवं पत्रॉक–1701सीजेडकाम/10सीजेड(कोष)/13, दिनॉकः 02.07.2019 तथा पत्रॉक–1764सीजेडकाम / 10सीजेड(कोष)/ 13, दिनॉकः 14.07.2022 तथा द्वारा फर्म के पंजीकरण का नवीनीकरण क्रमशः 30.06.2019, 30.06.2022 तथा दिनॉकः 30.06.2025 तक के लिये किया गया था।

2– फर्म के पक्ष में अधीक्षण अभियन्ता, 30 वॉ (वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा "अति विशिष्ट अतिथिगृह" के विद्युत अनुरक्षण हेतु अनुबन्ध संख्या–48/एस0ई0–30/20–21, दिनॉकः 12.10. 2020 गठित किया गया था, जिसके अन्तर्गत ए0सी0 प्लान्ट सुचारु रूप से संचालित रखना फर्म का दायित्व था। परन्तु दिनॉकः 24.03.2021 को श्रीमती आशना डब्लू0आर0 कन्हई, राजदूत सूरीनाम गणराज्य के अपनी पुत्री के साथ वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस में प्रवास के दौरान ए0सी0 प्लान्ट बन्द हो जाने के कारण उनको असुविधा का सामना करना पड़ा।

3– राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा गठित जॉच कमेटी द्वारा अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गॉधी मार्ग आउटसोर्सिंग के माध्यम से ए0सी0 संचालन हेतु मैनपावर व अन्य सुविधायें देने वाली मेसर्स यूनिटी इंजीनियर्स (सोल प्रो0–श्रीमती अजरा खान), बी–159/ए, निराला नगर, लखनऊ को अनुबन्ध एवं अतिविशिष्ट अतिथि गृह में राज्य अतिथि के प्रोटोकाल के अनुरूप सेवायें देने हेतु शिष्ट, व्यवहारी, कार्यकुशल व दक्ष कार्मिकों की तैनाती न करने एवं उक्त के कारण शासन की छवि धूमिल करने के लिये दोषी पाया है।

4– फर्म की उपरोक्त घोर लापरवाही के लिये उनको इस कार्यालय के पत्रॉक–3884/ सीजेडकाम/10सीजेडकाम(कोष)2013, दिनॉकः 15.11.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में फर्म के पत्र दिनॉकः 21.12.2021 एव 30.01.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।

5– फर्म द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ए0सी0 प्लान्ट बन्द होने के सम्बन्ध कोई संतोषजनक एवं सटीक उत्तर नहीं दिया गया वरन् केवल अपनी पूर्व ख्याति का उल्लेख करते हुये अन्य विविध तर्क देते हुये, प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया।

6– प्रकरण पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा गठित जॉच कमेटी की आख्या एवं मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रॉक–209 कैम्प/मु0अ0(वि0/यॉ0) जॉच–21–सूरी/22, दिनॉकः 27–07–2022 द्वारा की गयी संस्तुति पर विचार–विमर्श हेतु समिति की बैठक दिनॉकः 31.01.2023 को सम्पन्न हुई, जिसमें अधिशासी अभियनता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2, लो0नि0वि0, लखनऊ, अधीक्षण अभियन्ता, 30वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ, मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक), लो0नि0वि0, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ की समिति द्वारा फर्म को

.............2(कृ0प0उ0)

निर्गत किये गये कारण बताओ नोटिस एवं फर्म द्वारा दिये गये उत्तर पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा राज्य सम्पत्ति विभाग एवं समिति द्वारा फर्म के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक पूर्व की संस्तुति को यथावत प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया एवं यह संस्तुति की गयी कि फर्म की लापरवाही के कारण प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई, इसलिये फर्म को एक वर्ष के लिये डिबार कर दिया जाय।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स यूनिटी इंजीनियर्स (सोल प्रो0–श्रीमती अजरा खान), बी–159/ए, निराला नगर, लखनऊ को SARVAJANIK NIRMAN VIBHAG UTTAR PRADESH RULES FOR DEBARRING AND BLACKLISTING OF CONTRTACTORS, 1982 के प्राविधानों के अन्तर्गत **इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये,** इस कार्यालय द्वारा किये गये पंजीकरण के आधार पर, निविदा में प्रतिभाग करने से डिबार किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

(अशोक कनोजिया)
मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –</u>

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/ग्रा.स./परिकल्प एवं नियोजन, लो0नि0वि0, लखनऊ
3. विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
4. मुख्य अभियन्ता (मु0–2), लो0नि0वि0, लखनऊ
5. मुख्यालय स्थित समस्त मुख्य अभियन्ता ( )
6. मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यॉत्रिक), लो0नि0वि0, लखनऊ
7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0,
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/सेतु निगम, उ0प्र0, लखनऊ
9. अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0
11. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त/सीतापुर–खीरी वृत्त/उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0, लखनऊ/सीतापुर/उन्नाव।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड–1/2/3/4, लो0नि0वि0, लखनऊ/रायबरेली/सीतापुर/खीरी/उन्नाव/हरदोई।
13. गार्ड फाइल हेतु।
14. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराईजेशन सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डिबार आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. **रजिस्टर्ड डाक से:** मेसर्स यूनिटी इंजीनियर्स (सोल प्रो0–श्रीमती अजरा खान), बी–159/ए, निराला नगर, लखनऊ (Email: u_engineers@yahoo.co.in)

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ